तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेन्द्रसिंह टाक बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 163/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी महेन्द्रसिंह टाक पुत्र ओमदत्त टाक मार्फत ओम सेल्स एजेन्सी, गीतांजली स्कूल बिल्डिंग, महामंदिर चौराया, मण्डोर रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.07.19 में उसके द्वारा (1) ग्राम बासनी बाघेला पटवार हलका गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी के खसरा संख्या 28/1, 25/2, 35/3, 26/2, 26/3, 27/1 बाबत् तहसीलदार लूणी के आदेश कमांक/भू.अ./2011/786 दिनांक 31.01..2011 में कृषि भूमि के विभाजन की सम्पूर्ण पत्रावली मय आवेदन, शपथ पत्र, मौका रिपोर्ट इत्यादि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी के प्रतिनिधि महेश गहलोत उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	